रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 31—जून 6, 2009, शनिवार/ज्येष्ठ 10—ज्येष्ठ 16, 1931
No. 20] NEW DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2009, SATURDAY/JYAISTHA 10—JYAISTHA 16, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2009

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मत्स्य एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1992 को जहां तक उनका संबंध अनुदेशक (मीन उद्योग जीव विज्ञान) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है । कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में ज्येष्ठ अनुदेशक (मीन उद्योग जीव विज्ञान) के पद को भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, ज्येष्ठ अनुदेशक (मीन उद्योग जीव विज्ञान) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ अनुदेशक (मीन उद्योग जीव विज्ञान)	1(2009)* (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	पी बी-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन रु. 5400	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,

	(7)
	जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और सपीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समुद्री जीव विज्ञान या जन्तु विज्ञान या मीन उद्योग विज्ञान में एम.एस.सी. या समतुल्य । (ii) सरकारी या अर्ध सरकारी या स्वशासी या अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में समुद्री विज्ञान, जन्तु विज्ञान या मीन विज्ञान में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** समुद्री जीव विज्ञान या जन्तुविज्ञान या मीन उद्योग विज्ञान में डाक्टरेट हो । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली-रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति//प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
सीधी भर्ती : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुये हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10,500 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से निम्नलिखित बनेगी :— (1) संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य (3) मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —सदस्य (4) निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोची—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 3-38/2009-एफ वाई. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 27th May, 2009

G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1992 in sofar as they relate to the post of Instructor (Fishery Biology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Instructor (Fishing Biology) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Senior Instructor (Fishing Biology) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Instructor (Fishing Biology)	1* (2009) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-3- Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 35 years (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu

		(7)
		and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential: (i) M. Sc. in Marine Biology or Zoology or Fisheries Science or equivalent from a recognized University. (ii) Three years experience of teaching Marine Biology, Zoology or Fishery Science in Government or Semi Government or Autonomous or other reputed institutions. **Desirable** : Doctorate in Marine Biology or Zoology or Fisheries Science; **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commssion, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government. (a) (i) : Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; or	Not applicable

(11)

(ii) : With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) : Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under Col. 8.

Note : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years', as on the closing date of receipt of applications.

If a Depatmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmations) : 1. Joint Secretary (Fisheries) : Chairman 2. Joint Secretary (Administration) : Member 3. Fishery Development Commissioner/or Joint Commissioner (fisheries): Member 4. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training Kochi: Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 3-38/2009-Fy Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 2009

सा.का.नि. 84.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समेकित मात्स्यकी परियोजना (वर्ग III) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उनका संबंध लुहार मैकेनिक (अवतरण मंच) पेंटर और टर्नर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है । कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई में लुहार, मैकेनिक, पेंटर और टर्नर के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, भारतीय मात्सिकी सर्वेक्षण, मुबंई में लुहार मैकेनिक, पेंटर और टर्नर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।